2/2/26 पक्षकारों/उनके वकील/प्रार्थी को सुनकर/पत्रावली/सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने/प्रकरण को चलाने की आवश्यकता नहीं/अतः, प्रकरण खारिज की जाती है/खारिज किया जाकर फाईल दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
ल एस (बीरमा)